कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रॉक संख्या/4413-14/आग्ल भाषा मान्यता नवीनीकरण/2016–17 दिनांक 3 सितम्बर 2016

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल आनन्दपुर चौक आर0टी0ओ0रोड हल्द्वानी नैनीताल।

विषय:– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के उप नियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 22–7–2016 और उनके कम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल के पृ0स0/मैमो/4283 /मान्यता/दिनांक 17–8–2016 द्वारा किये गये निरीक्षण के आलोक में एवं आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रॉक/वैय0 अ0/11598–600/आग्ल भाषा मान्यता/2012–13 दिनाक 28–2–2013 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8तक संचालन हेतु 3 (तीन वर्ष)दिनांक 1–4–2013से 1–4–2016 तक की अवधि के लिए औपबन्धित मान्यता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। को दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2021 तक 5 (पॉच वर्ष)हेतु नवीनीकृत किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्तें इस कार्यलय के पत्रॉक/वैय0अ0/11598–600/आग्ल भाषा मान्यता /2012–13 दिनांक 28–2– 2013 द्वारा दी गई मान्यता के अधीन एवं परिशिष्ठ–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तो के रूप में रहेगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 3/9/2016

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0स0/ /आग्ल भाषा मान्यता/2016–17 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रांक:वैय0अ0/ 11598-602/ आग्ल भाषा मान्यता/2012–13 दिनांक 26-2-013

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल आनन्दपुर चौकी आर0टी0ओ0रोड हल्द्वानी नैनीताल

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्कएवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक21–5–2012 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय–सिद्धार्थ पब्लिक स्कूलआनन्दपुर चौकी आर0टी0ओ0रोड हल्द्वानी तहसील हल्द्वानी नैनीताल को कक्षा 1से कक्षा 8 तक संचालन हेतु (तीन वर्ष)दिनांक 1–4–2013 से 1–4–2016तक अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1 मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2 विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3 विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4 उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5 संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यदितगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6 विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7 विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल;
- कुल निर्मित क्षेत्र;
- खेल के मैदान का क्षेत्र;
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या; 11
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष; 02
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय;
- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर;
- बाधारहित पहुँच;
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 011 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. **परिशिष्ट–चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल ।

पृ0स0/वैय0अ0/ /2021–13 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नाकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी।
2.निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल

परिशिष्ट– चार

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) को देखें

मान्यता हेतु शर्तेः

मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है–

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 की संख्या 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है;

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है;

(घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधायें या प्रांगण मात्र शैक्षिक प्रयोजनों तथा दक्षता विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है;

(ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है;

(च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा;

(ज) विद्यालय अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा;

(झ) विद्यालय अपने पड़ोस के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा (कक्षा–1 की कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों के समतुल्य) की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा। सहायता प्राप्त विद्यालय उनको प्राप्त वार्षिक आवर्ती सहायता के अनुपात में अथवा कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा;

(ञ) ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश प्रदान करेंगे;

(ट) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;

(ठ) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता–पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे;

(ड़) मान्यता प्रदान की जाने वाली शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी;

(ढ़) विद्यालय प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर के आधार पर डायस प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।